कार्यालय जिलाधिकारी बांदा।

पत्रांकः 602/दैवी आपदा दिनांक 24, अप्रैल 2020

ई–निविदा सूचना

शासनादेश सं0: 190/एक–10–2020–33(221)/2011 टीसी–2, दिनांकः 20.04.2020 राजस्व अनु0–10 लखनऊ द्वारा नोवेल कोरोना वायरस (कोविड–19) की महामारी से प्रभावित पात्र व्यक्तियों को पका भोजन पैकेट की दर निर्धारित करने एवं कच्ची खाद्य सामग्री किट वितरण के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये हैं। कोविड–19 प्रभावित व्यक्तियों के भोजन आदि के दृष्टिगत बृहद दिशा–निर्देश जारी करते हुए **बेघर व्यक्ति, प्रवासी श्रमिक, लॉकडाउन के कारण फंसे हुए व्यक्ति व राहत कैम्प व अन्य स्थलों पर शरण लिए हुए व्यक्तियों को राहत उपलब्ध कराने हेतु सम्मिलित किया गया है।**

सामान्य परिस्थितियों में प्रदेश के खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा संचालित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आच्छादित समस्त प्रकार के राशन कार्ड धारक इस पात्रता की परिधि में सम्मिलित नही होंगे। कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत लॉक डाउन के कारण उत्पन्न स्थिति के चलते कोई भी व्यक्ति अभावग्रस्त होने के कारण भूखा न रहे। अतः यदि विपरीत परिस्थितियों में ऐसे राशन कार्ड धारक व्यक्ति/परिवार भी भोजन सामग्री की अनुपलब्धता, राहत सामग्री क्रय करने की क्षमता न होने अथवा हॉटस्पाट चिन्हित/सील्ड क्षेत्रों में फॅसे होने के कारण भुखमरी के कगार पर हैं, तो उन्हें भी यथा–आवश्यकतानुसार पका हुआ भोजन अथवा उक्त कच्ची खाद्य सामग्री की राशन किट उपलब्ध करायी जायेगी।

जिलाधिकारी महोदय बांदा के अनुमोदन दिनांक 23.04.2020 के अन्तर्गत कच्ची खाद्य सामग्री किट वितरण हेतु ई–टेन्डर कराये जाने की निम्नवत स्वीकृति प्रदान की गयी है –

क्र0	कच्ची खाद्य सामग्री के किट का विवरण		दर प्रति किग्रा	अनुमानित कुल मूल्य रू0 में
	किट में कच्ची खाद्य सामग्री का नाम	किट में सामग्री की मात्रा		
1	2	3	4	5
1	आटा	05–00 किग्रा0	24.00	120.00
2	चावल	05–00 किग्रा0	21.00	105.00
3	दाल अरहर	01–00 किग्रा0	80.00	80.00
4	सरसों का तेल	01–00 लीटर	100.00	100.00
5	नमक	01–00 किग्रा0	15.00	15.00
6	हल्दी	200 ग्राम (पैकेट)	214.00	43.00
7	धनिया	200 ग्राम (पैकेट)	195.00	39.00
8	लाल मिर्च	200 ग्राम (पैकेट)	269.00	54.00
9	आलू	03–00 किग्रा0	17.00	51.00

अतः जनपद बांदा में उपरोक्त सारणी में उल्लिखित कच्ची खाद्य सामग्री किट आपूर्ति किये जाने हेतु ई–टेण्डर/निविदा आमंत्रित की जाती है, आमंत्रित निविदा दिनांक 24 अप्रैल, 2020 से 29 अप्रैल, 2020 तक ई–टेण्डर की वेबसाइट etender.up.nic.in पर डाली जा सकती है। ई–निविदा की अंतिम तिथि 29 अप्रैल, 2020 को समयः 02:00 PM बजे तक होगी। आमंत्रित ई–निविदा दिनांक 29 अप्रैल, 2020 को जिलाधिकारी कार्यालय बांदा स्थिति ई–डिस्ट्रिक्ट लैब में 4:00 PM बजे गठित क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी। जनपद में आपूर्तक संस्था द्वारा प्रत्येक कच्ची खाद्य सामग्री किट में उपरोक्तानुसार खाद्य सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।

ई–निविदा की शर्ते–

1. उक्त खाद्य सामग्री के प्रत्येक कच्ची खाद्य सामग्री किट का मूल्य परिवहन, पैकिंग एवं वितरण में हुए व्यय को सम्मिलित करते हुये समस्त कर/टैक्स सहित रू0 800/– से अधिक नही होना चाहिए।
2. आपूर्ति के आदेश में उक्त कच्ची खाद्य सामग्री किट की संख्या 5000–00 (पांच हजार) होगी। फूड पैकेटो की संख्या आवश्यकतानुसार घटायी या बढ़ाई जा सकती है। आपूर्ति का आदेश निर्गत होने की तिथि से 48 घंटे के अन्दर चयनित संस्था को फूड पैकेटों की आपूर्ति जनपद में करनी होगी।

Scanned with CamScanner

3. ई–निविदा के माध्यम से प्राप्त मूल्य दर 06 (छः) माह के लिए मान्य होंगी, भविष्य कच्ची खाद्य सामग्री किट की सामग्री के मूल्य दरों में कमी होने पर भविष्य में मार्केट दर के अनुसार निविदा की मूल्य दरों में कमी की जा सकेगी।
4. उक्त कार्य को कराए जाने हेतु ई–निविदा में प्रतिभाग करने वाली संस्था को वाणिज्य कर विभाग मे पंजीकृत होना आवश्यक है। फर्म/संस्था द्वारा पंजीकरण, बैंक खाता विवरण (बैंक का नाम, शाखा का नाम, खाता संख्या, बैंक आई0एफ0एस0सी0) सम्बन्धी समस्त अभिलेख पठनीय स्थिति में ऑन लाईन ई–टेण्डर की वेबसाइट पर अपलोड करने के साथ–'साथ ई–निविदा खोले जाने की तिथि को इस कार्यालय में प्रस्तुत किये जाऐंगें।
5. निविदा के समय प्रतिभागी संस्था को अर्नेष्ट मनी के रूप में दो प्रतिशत का बैंक ड्राफ्ट/एन0एस0सी/एफ0डी0 जमा करना होगा जो जिलाधिकारी बांदा के पक्ष मे देय हो, उसको ऑन–लाईन अपलोड भी करना होगा।
6. प्रत्येक कच्ची खाद्य सामग्री किट की पैकिंग का रंग (color) सॉलिड (Solid)/Preferably white रंग (color) का होना चाहिए। कच्ची खाद्य सामग्री किट की पैकेजिंग के बाहर मोटे अक्षरों से हिन्दी/ देवनागिरी में लिखा होगा कि **''यह पैकेट राजस्व विभाग की ओर से निःशुल्क वितरित किये जा रहे है।''**
7. ई–निविदा स्वीकृत होने के पश्चात सम्बन्धित फर्म द्वारा व्यय होने वाली कुल धनराशि का दस प्रतिशत धनराशि जमानत के रूप में एन0एस0सी0/बैंक ड्राफ्ट/एफ0डी0 के रूप में जमा करना होगा जो जिलाधिकारी बांदा के पक्ष में देय हो।
8. इस सम्बन्ध में उत्पन्न किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति में जिलाधिकारी बांदा का निर्णय अन्तिम होगा।

(संतोष बहादुर सिंह)
अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
बांदा।

पृ0प्र0सं0 602/दैवी आपदा तददिनांक

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. जिलाधिकारी महोदय बांदा को सादर अवलोकनार्थ।
2. जिला पूर्ति अधिकारी, बांदा, मुख्य कोषाधिकारी, बांदा, जिला खाद्य विपणन अधिकारी बांदा, उपजिलाधिकारी बांदा।
3. ई–डिस्ट्रिक्ट मैनेजर कले0 बांदा को तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. डी0आई0ओ0 एन0आई0सी0 बांदा को जनपद की एन0आई0सी0 वेबसाइड पर प्रकाशन हेतु।
5. जिला सूचना अधिकारी बांदा को 07 (सात) प्रतियों में जनपद के समाचार पत्रों में जनहित में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
6. नाजिर सदर कले0 बांदा, नाजिर विकास भवन को नोटिस बोर्ड में चस्पा करानें हेतु।
7. समस्त तहसीलदार जनपद बांदा को नोटिस बोर्ड में चस्पा करानें हेतु।

24.04.2020

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
बांदा।

Scanned with CamScanner